



Off.: ShikshaSadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षासदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondarvhrv@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

**ORDER**

Order No. 6/9-2022 SE (4)

Date: 03.08.2022

Approval is hereby accorded to start Science Stream in the Government Senior Secondary School, Jhal [2615] Rewari from the academic session 2022-23, one post of PGT Chemistry is allocated.

**Dr. Anshaj Singh, IAS**  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 4-8-2022

A copy is forwarded to the followings for information and necessary action:-

1. Accountant General (A & E), Haryana, Chandigarh.
2. The Secretary, Board of School Education, Haryana, Bhiwani.
3. District Education Officer, Rewari.
4. Principal, Government Senior Secondary School, Jhal [2615] Rewari
5. Treasury Officer concerned.
6. PA/DSE.
7. PA/Additional Director (Academic).
8. IT Cell (Local).

  
Assistant Director Secondary Education  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Order No. 20/189-2022 PGT-IV (3)**

**Dated, Panchkula, the 04.08.2022**

Smt. Anita, PGT Mathematics, Govt. Sr. Sec. School, Kheri Talwana (3878) Narnaul is hereby granted Child Care Leave from 04.08.2022 to 12.10.2022 (70 days) subject to fulfillment of the Provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016

**Rakesh Sandhu  
Joint Director (Admn)  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**Endst. No. Even**

**Dated Panchkula, the 4.8.2022**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Narnaul Letter No. E/2/2022/577 dated 21.07.2022 with the direction to attach the Service profile of applicant with the case in future.
2. Principal Govt. Sr. Sec. School, Kheri Talwana (3878) Narnaul
3. Smt. Anita, PGT Mathematics, Govt. Sr. Sec. School, Kheri Talwana (3878) Narnaul
4. IT Cell for uploading the orders on website of Directorate.

  
**Dy. Superintendent PGT-IV  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**  


**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Order No. 20/167-2022 PGT-IV (2)**

**Dated, Panchkula, the 04.08.2022**

Smt. Pooja Yadav, PGT Biology, Govt. Sr. Sec. School, Pachgaon, Gurugram is hereby granted Child Care Leave from 04.08.2022 to 02.10.2022 (60 days) subject to fulfillment of the Provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016

**Rakesh Sandhu  
Joint Director (Admn)  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**Endst. No. Even**

**Dated Panchkula, the 4/8/22**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Gurugram Letter No. E/2/2022/850 dated 08.06.2022 with the direction to attach the Service profile of applicant with the case in future.
2. Principal Govt. Sr. Sec. School, Pachgaon, Gurugram
3. Smt. Pooja Yadav, PGT Biology, Govt. Sr. Sec. School, Pachgaon, Gurugram
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website of Directorate.

  
**Dy. Superintendent PGT-IV  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula 2**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Order No. 20/187-2022 PGT-IV (2)**

**Dated, Panchkula, the 04.08.2022**

Smt. Vanita Yadav, PGT Geography, Govt. Girl Sr. Sec. School, Rewari is hereby granted Child Care Leave from 04.08.2022 to 22.10.2022 (80 days) subject to fulfillment of the Provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**Rakesh Sandhu  
Joint Director (Admn)  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**Endst. No. Even**

**Dated Panchkula, the 4/8/22**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rewari Letter No. E/2/2022/654 dated 14.07.2022 with the direction to attach the Service profile of applicant with the case, in future.
2. Principal, Govt. Girl Sr. Sec. School, Rewari.
3. Smt. Vanita Yadav, PGT Geography, Govt. Girl Sr. Sec. School, Rewari.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website of Directorate.

  
**Dy. Superintendent PGT-IV  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula 2**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Order No. 20/190-2022 PGT-IV (1)**

**Dated, Panchkula, the 04.08.2022**

Smt. Deepika Boara, PGT Chemistry, Govt. Sr. Sec. School Dhanana, Sonapat is hereby granted Child Care Leave from 04.08.2022 to 22.09.2022 (50 days) subject to fulfillment of the Provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016

**Rakesh Sandhu  
Joint Director (Admn)  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**Endst. No. Even**

**Dated Panchkula, the 4/8/2022**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sonapat Letter No. E/6/2022/3081 dated 14.07.2022 with the direction to attach the Service profile of applicant with the case, in future.
2. Principal Govt. Sr. Sec. School Dhanana, Sonapat.
3. Smt. Deepika Boara, PGT Chemistry, Govt. Sr. Sec. School Dhanana, Sonapat.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website of Directorate.

  
**Dy. Superintendent PGT-IV  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Order No. 20/103-2022 PGT-IV (3)**

**Dated, Panchkula, the 04.08.2022**

Smt. Parmila Kumari, PGT Geography, Govt. High School Dalawas, Ch. Dadri is hereby granted Child Care Leave from 04.08.2022 to 25.09.2022 (53 days) subject to fulfillment of the Provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016

**Rakesh Sandhu  
Joint Director (Admn)  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**Endst. No. Even**

**Dated Panchkula, the 4/8/2022**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Ch. Dadri Letter No. E/1/2022/130 dated 27.04.2022 with the direction to attach the Service profile of applicant with the case, in future.
2. Head Master Govt. High School Dalawas, Ch. Dadri.
3. Smt. Parmila Kumari, PGT Geography, Govt. High School Dalawas, Ch. Dadri.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website of Directorate.

  
**Dy. Superintendent PGT-IV  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula** 

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Order No. 20/188-2022 PGT-IV (1)**

**Dated, Panchkula, the 04.08.2022**

Smt. Sarita, PGT Chemistry, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, Garhi Bolni (2474), Rewari is hereby granted Child Care Leave from 22.08.2022 to 09.11.2022 (80 days) subject to fulfillment of the Provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016

**Rakesh Sandhu  
Joint Director (Admn)  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**Endst. No. Even**

**Dated Panchkula, the 4/8/22**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Rewari Letter No. E/2/2022/679 dated 21.07.2022 with the direction to attach the Service profile of applicant with the case in future.
2. Principal Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, Garhi Bolni (2474), Rewari
3. Smt. Sarita, PGT Chemistry, Govt. Model Sanskriti Sr. Sec. School, Garhi Bolni (2474), Rewari
4. IT Cell for uploading the orders on website of Directorate.

  
**Dy. Superintendent PGT-IV  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula** 



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Order No. 12/76-2022 PGT-IV (3)**

**Dated: 31.07.2022**

Relaxation in Rules is hereby granted to Sh. Moman Ram, PGT Mathematics, Govt. Sr. Sec. School Bibipur Jattan (1838) Karnal amounting to Rs. 7,361/- (Rs. Seven thousand three hundred sixty one only) the reimbursement of Medical Bill of her wife treatment from Shri Sanatan Dharam Mahabir Dal, Mandir Marg, Kunjpura Road, Karnal-132001 (un-approved) as per letter of Health Department bearing No. 2/24/2013-1HB dated 19.09.2016.

| Sr. No.                                     | Name of Claimant                                                                   | Amount      | Relation with Patient | Period of Treatment      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.                                          | Sh. Moman Ram, PGT Mathematics, Govt. Sr. Sec. School Bibipur Jattan (1838) Karnal | Rs. 7,361/- | Wife Treatment        | 29.09.2021 to 02.10.2021 |
| Seven thousand three hundred sixty one Only |                                                                                    |             |                       |                          |

**Anshaj Singh  
Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

**ENDST. NO. EVEN**

**DATED, PANCHKULA, THE 11.8.2022**

1. The District Education Officer, Karnal with reference to their letter No. A-3/2022/1211 dated 15.06.2022 alongwith original case.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School Bibipur Jattan (1838) Karnal
3. Sh. Moman Ram, PGT Mathematics, Govt. Sr. Sec. School Bibipur Jattan (1838) Karnal
4. IT Cell for uploading the orders on website of the Directorate.

**D.A/as above.**

**Dy. Superintendent PGT-IV  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**





## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana  
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय  
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER

Order No. 7/29-2022 PGT-II (6)

Dated, Panchkula, 03.08.2022

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department Notification No. 1/20/2016 (ACP)-5PR (FD) dated 28.10.2016, **Smt. Manju Rastogi, PGT Hindi (Retd.), Govt. Sr. Sec. School, Mullana (Ambala)** is hereby granted **2nd ACP as C&V in ACP-L-12 w.e.f. 01.10.2019** under Rule 7 (2) of Haryana Civil Services (ACP) Rules, 2016 after completion of 16 years of regular satisfactory service.

**Rakesh Sandhu, HCS**  
**Deputy Secretary to Government Haryana**  
**School Education Department**  
**Haryana, Panchkula**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 04.08.22

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, **Ambala** w.r.t. their Memo No. E-2/2022/6699 dated 10.06.2022 alongwith service book. It is hereby directed that pay of the official be fixed as per rules and release consequential benefits within a week under intimation to this office, failing which your office shall be responsible for the consequences.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Mullana (Ambala).
5. Smt. Manju Rastogi, PGT Hindi (Retd.), Govt. Sr. Sec. School, Mullana (Ambala).
6. I.T. Cell (Local).

DA/- Service Book.

  
**Assistant Director PGT-II**  
**for Director Secondary Education**  
**Haryana, Panchkula**



E:\Singla Office\Sanction\ACP Sanction 2021.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253



**TO BE SUBSTITUTED BEARING SAME NO. AND DATE**

**GOVERNMENT OF HARYANA  
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT  
CHANDIGARH**

**No. 7/10-2022 PGT-II(5)**

**Dated, Chandigarh, 28.01.2022**

As per provision contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/20/2016(ACP)-5 PR (FD) dated 28.10.2016, sanction of 2<sup>nd</sup> ACP to Sh. Ramesh Kumar, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Bitna (Panchkula) is hereby amended as under:-

| Sr. No. | Unique Code | Name & Designation            | Earlier sanctioned basic pay | Amended sanctioned basic pay | Effected date |
|---------|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.      | OC4NDB      | Sh. Ramesh Kumar, PGT History | 74,000/-                     | 76,200/-                     | 01.01.2021    |

**Rakesh Sandhu, HCS  
Deputy Secretary to Government Haryana  
School Education Department  
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**Endst. No. Even**

**Dated, Panchkula the 05.08.2022**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, **Panchkula** w.r.t. your Memo No E-1/2022/7767 dated 23.02.2022. Service book of Sh. Ramesh Kumar, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Bitna (Panchkula) is enclosed herewith.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Bitna (Panchkula).
5. Sh. Ramesh Kumar, PGT History, Govt. Sr. Sec. School, Bitna (Panchkula).
- ✓ 6. I.T. Cell (Local).

**Dy. Superintendent PGT-II  
for Director, Secondary Education  
Haryana, Panchkula**



## ORDER

No. 4/43-2022 HRME-II (5)

Dated, Panchkula, 05.08.2022

Smt. Bohti Devi [097909] Class-IV was transferred from GSSS, Phaprana [1987] Karnal to GSSS, Bibipur Jattan [1877] Karnal vide this office order No. 4/43-2022 HRME-II (5) dated 28.07.2022/01.08.2022, is hereby cancelled.

## Note:-

1. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
2. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

RAKESH SANDHU  
JOINT DIRECTOR ADMN  
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION  
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 5-8-22

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Account General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Karnal with the direction to join applicant on her previous station and send compliance report.
3. Head of the Institution concerned.
4. Official Concerned.
5. I.T Cell.
6. Separate copy for updating of MIS.

*Sh. K. H.*  
DY. SUPERINTENDENT HRME-II  
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION  
HARYANA, PANCHKULA



**OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA  
ORDER**

**No.18/138-2022 PGT-III (9)**

**Dated, Panchkula the 04.08.2022**

**Smt. Sarita Kumari, PGT Sanskrit, GSSS Asiaki Panchor Sampli (Rewari) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 04.08.2022 to 22.09.2022 as per rule-46 of HCS (Leave) Rules, 2016.**

**RAKESH SANDHU, HCS  
JOINT DIRECTOR ADMINISTRATION  
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION  
HARYANA, PANCHKULA**

**DATED, PANCHKULA THE 04/8/2022**

**ENDST. NO. EVEN**

**A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-**

1. The District Education Officer, Rewari.
2. The Principal, GSSS Asiaki Panchor Sampli (Rewari).
3. Smt. Sarita Kumari, PGT Sanskrit, GSSS Asiaki Panchor Sampli (Rewari).
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website (Local).
5. Office record.

**Dy. Superintendent PGT-III  
for Director Secondary Education  
Haryana, Panchkula**

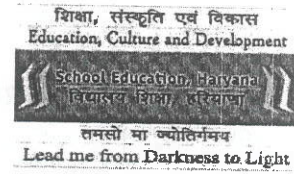


GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



सेवा मे,

Head Master GGHS Kamashpur [3681], Sonapat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 01-08-2022

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23  
(Non-Recurring) under Gram Darshan Portal.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम         | कार्य का नाम           | प्रस्तावित राशि |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 GGHS Kamashpur [3681] | Construction of B/wall | 1488000.00      |
|                         | कुल राशि               | 1488000.00      |

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sanjay Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।
- 10 उप निदेशक-कम-नोडल अधिकारी जी0 सैल (स्थानीय)।

उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

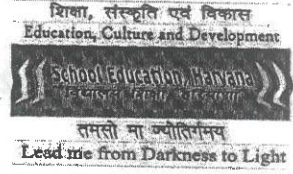




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS Bhongra [1699], Jind  
Principal GGSSS Campus Chattar [1702], Jind  
Head Master GHS Kheri Masania [1716], Jind

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 01-08-2022

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23  
(Non-Recurring) under Gram Darshan Portal.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम               | कार्य का नाम                | प्रस्तावित राशि |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 GHS Bhongra [1699]          | Construction of class rooms | 1540000.00      |
| 2 GGSSS Campus Chattar [1702] | Construction of B/wall      | 1072000.00      |
| 3 GHS Kheri Masania [1716]    | Construction of B/wall      | 790000.00       |
|                               | कुल राशि                    | 3402000.00      |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Santosh Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

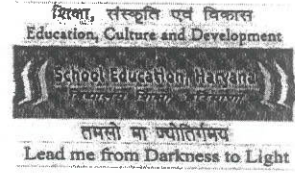
- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
- 5 जिला खजाना अधिकारी जीन्द।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।
- 10 उप निदेशक-कम-नोडल अधिकारी जी0 सैल (स्थानीय)।

*Sanjay Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Head Master GHS Moth Dadu [2871], Sirsa  
Principal GSSS Bharokhan [2818], Sirsa

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 01-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23  
(Non-Recurring) under Gram Darshan Portal.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम         | कार्य का नाम           | प्रस्तावित राशि |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 GHS Moth Dadu [2871]  | Construction of B/wall | 1574000.00      |
| 2 GSSS Bharokhan [2818] | Construction of B/wall | 1155900.00      |
|                         | कुल राशि               | 2729900.00      |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

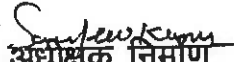
- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, सिरसा।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सिरसा।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।
- 10 उप निदेशक-कम-नोडल अधिकारी जी0 सैल (स्थानीय)।

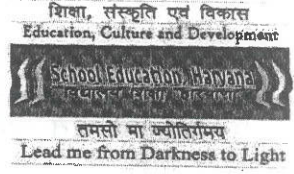
  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com



सेवा में,

Head Master GHS Dahina Jainabad [2482], Rewari

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 01-08-2022

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23  
(Non-Recurring) under Gram Darshan Portal.

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम              | कार्य का नाम           | प्रस्तावित राशि |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 GHS Dahina Jainabad [2482] | Construction of B/wall | 2000000.00      |
|                              | कुल राशि               | 2000000.00      |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

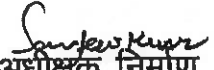
यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, रेवाड़ी।
- 5 जिला खजाना अधिकारी रेवाड़ी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।
- 10 उप निदेशक-कम-नोडल अधिकारी जी0 सैल (स्थानीय)।

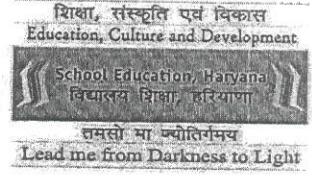
  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला





# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS Nigdhu [1800], Karnal

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 01-08-2022

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम        | कार्य का नाम                        | प्रस्तावित राशि |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 GMSSSS Nigdhu [1800] | Construction of one store and /wall | 494000.00       |
|                        | कुल राशि                            | 494000.00       |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, करनाल।
- 5 जिला खजाना अधिकारी करनाल।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।
- 10 सहायक निदेशक अकैडमिक (स्थानीय)।

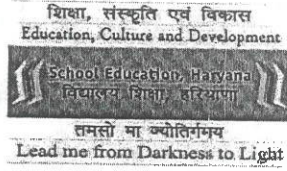
*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGSSS Butana [3678], Sonapat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 02-08-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम       | कार्य का नाम                                             | प्रस्तावित राशि |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 GGSSS Butana [3678] | Balance amount<br>for Construction of multi purpose hall | 204000.00       |
|                       | कुल राशि                                                 | 204000.00       |

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (स्थानीय)।

*Handwritten signature and initials*

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला